न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट,दौसा

पीठासीन अधिकारी	—	नरेन्द्र कुमार मीना (आरएएस) उपखण्ड अधिकारी, लालसोट
मुकदमा नम्बर	—	17 / 2020
दर्ज दिनांक	—	13 10 2022

कृष्ण कुमार बनाम शिवशंकर

उपस्थित :—	श्री सीताराम शर्मा	—	अधिवक्ता प्रार्थीगण
	श्री चन्द्रभान सिंह	—	अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

निर्णय दिनांक 12-01-24

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात् को पैतृक सम्पत्ति बताते हुए प्रतिवादी संख्या 01 शिवशंकर के पौत्र व पोत्री द्वारा उद्घोषणा एवम् स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है,जो विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा ये अभिवचन करते हुए वाद पत्र बार्ड बाय लॉ बताया है कि वसीयत में प्राप्त सम्पत्ति पर जिसके पक्ष में वसीयत हुई है,उसके जीवन काल मे वसीयत गृहिता के वारिसान (पौत्र/पौत्री) के लिए वह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं समझी जावेगी और वसीयत गृहिता के जीवन काल में उसके वारिसान का वसीयत में आई हुई उस सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण प्रस्तुत वाद पत्र प्रारभिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। आगे वाद–हेतुक के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का कहना है कि प्रकरण में वादीगण को जब वादपत्र पेश करने का कानूनी दृष्टि में प्रावधान ही नहीं है तो फिर प्रतिवादी संख्या 01 के प्रति वाद–हेतुक उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है [illegible] प्रकरण में किसी भी प्रकार का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वि[illegible] वाद हेतुक के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार अभिवचन करते हुए प्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा वादीगण का वाद–पत्र प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी शामिल पत्रावली किया जाकर नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गई तथा जवाब तलब किया गया। वादीगण की और से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन हुए जवाब पेश किया कि आराजी वादग्रस्त वादीगण की पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। वादीगण प्रतिवादी शिवशंकर (मृतक) के पौत्र, पौत्री है और वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज.)

सम्पत्ति उनके दादा की है। इस कारण उन्हे जन्म से ही अपने दादा की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है। अपने जवाब में वादीगण/प्रतिपक्ष का यह भी कहना है कि दौराने वाद वादग्रस्त सम्पत्ति को सन्तरा देवी का विक्रय कर दिया जो स्वयं शिवशंकर के द्वारा किया गया है। वसीयत नहीं की है और यदि कोई वसीयत की है तो वह फर्जी एवम् बनावटी है। वाद-हेतुक के सम्बन्ध में वादीगण/प्रतिपक्ष का कहना है कि दिनांक 15.06.2014 के वादग्रस्त आराजी के बेचान करने पर आमदा होने की बात यह वाद-पत्र प्रस्तुत किया है जिसका वादपत्र के चरण संख्या -4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया कि वादीगण का वादपत्र क्यों पोषणीय नहीं है। वादहेतुक कानून की दृष्टि से विधि एवम् साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न है जिस पर विचार न करके केवल मात्र वादपत्र को देखना है तथा वादपत्र के आधार पर ही निर्णय करना है। इस प्रकार कथन करते हुए वादीगण/प्रतिपक्ष द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वादीगण/प्रतिपक्ष का जवाब शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 पर उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की दिनांक 09.01.2024 को बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये कि वादग्रस्त आराजीयात् प्रतिवादी संख्या 01 शिवशंकर की वसीयत में प्राप्त शुदा सम्पत्ति होने से स्व-अर्जित सम्पत्ति है। वादग्रस्त आराजी शिवशंकर को दुर्गालाल पुत्र गणेश कौम ब्राह्मण निवासी बिलौना कलॉ से प्राप्त हुई है तथा वसीयत रजिस्ट्र्ड है जिसके प्रति कोई भी आशका/संदेह होने का प्रश्न ही नही उठता है। पत्रावली में उपलब्ध वसीयत से तथ्य पूर्णतः साबित होते है। वसीतय के निष्पादन के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी का कहना है कि वसीयत के बाद नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 07.01.1973 को वसीयती के हक में ग्राम पंचायत बिलौना कलॉ द्वारा स्वीकार होकन खोला गया है। जिसके उपरान्त वसीयती आराजी वादग्रस्त का बतौर खातेदार रहा है। जमाबंदी संम्वत् 2067-2070 ग्राम बिलौना कलॉ के मुताबिक खसरा नम्बर 537, 538 ग्राम बिलौना कला के खातेदार शिवशंकर ही रहा है। शिवशंकर ने अपने जीवन काल में ही उक्त वसीयत में प्राप्त सम्पत्ति में से 1/4, 1/4 भूमि का बेचान सन्तरा देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बिलौना कलॉ के हक में दिनांक 04.08.2020 को जरिये दो अलग-अलग रजिस्ट्र्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है एवम् शेष भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीस दिनांक 04.08.2020 द्वारा अंजनि पुत्र शिवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी सेडूलाई लालसोट के हक में बख्शीस कर दिया है। इस तरह से शिवशंकर द्वारा अपनी सम्पूर्ण स्व-अर्जित सम्पत्ति का अपने जीवन काल में ही हस्तान्तरण कर दिया है।वसीयत में प्राप्त सम्पत्ति कानून वसीयती की स्व-अर्जित सम्पत्ति होती है इस कारण वसीयत में प्राप्त सम्पत्ति पर वसीयत का सम्पूर्ण हक अधिकार होने की अवधारणा रही है इसी के चलते शिवशंकर द्वारा अपने जीते जी वसीयत में प्राप्त सम्पत्ति का हस्तान्तण किया है जो कानूनन सही है। उक्त सम्पत्ति स्व-अर्जित सम्पत्ति होने के कारण वादी जो शिवशंकर के पौत्र पौत्री व किसी अन्य को भी पैतृक सम्पत्ति के रूप में शिवशंकर के जीवन में में क्लेम [illegible] नहीं है। जब वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति ही नहीं है [illegible] पैदा ही नहीं होता है। प्राईमा फैसाई वाद-कारण के अभाव में वादीगण का वादपत्र चलने योग्य [illegible] है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दीलले दी है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में [illegible] खारिजगी का विशिष्ट प्रावधान है जिसके अनुसार बिना कॉज ऑफ एक्शन के वादपत्र पोषणीय नहीं है। अतः वाद-कारण के अभाव में वादीगण का प्रस्तुत वादपत्र खारिज विचारण योग्य नहीं है। तथा वाद पत्र बार्ड बाय लॉ है। आगे वाद-हेतुक के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का कहना है कि प्रकरण में वादीगण को जब वादपत्र पेश करने का कानूनी दृष्टि में प्रावधान ही नहीं है तो फिर प्रतिवादी संख्या 01 के प्रति वाद-हेतुक उत्पन्न होने का प्रश्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

ही पैदा नहीं होता है। अर्थात प्रकरण में किसी भी प्रकार का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार वादीगण का वादपत्र वाद–हेतुक के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अपनी जवाबी बहस में विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रतिपक्ष ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए आराजी वादग्रस्त वादीगण जो कि शिवशंकर के पोत्र, पोत्री है, की पैतृक सम्पत्ति होने के कथन किये है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने आराजी वादग्रस्त के शिवशंकर को वसीयत में प्राप्त होने का तथ्य तो स्वीकार किया है। किन्तु पोत्र, पोत्री के लिए उक्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति बताकर जनम से ही उनका हक अधिकार सृजित होना बताया है। वकील वादी का कहना है कि दादा की सम्पत्ति में पोत्र, पोत्री का जनम से ही हक अधिकार निहीत होता है अतः यह वादग्रस्त सम्पत्ति वादीगण की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उक्त प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोन किया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी द्वारा यह कहते हुए पेश किया है कि वादगस्त आराजी शिवशंकर की स्व–अर्जित सम्पत्ति थी, जिसका उसके द्वारा अपने जीवन काल में खदु–बुर्द एवम् हस्तान्तरण कर दिया है। तथा वादीगण के लिए वादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक नही होने के कारण वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कॉज ऑफ एक्शन अराईज ही नहीं होता है। सर्वप्रथम यहॉं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के सापेक्ष न्यायालय यह को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों पर गौर करना है। विधि के प्रावधित प्रावधानों के अनुसार वाद–करण तथा क्षेत्राधिकार के अभाव में वादपत्र चलने योग्य नहीं है। प्रारंभिक आपत्ति में कॉज ऑफ एक्शन के नहीं होने के तथ्य प्रकट कर यह प्रार्थना पेश किया है जिसके विनिश्चिय के लिए उभयपक्ष की बहस एवम् दस्तावेजों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध वसीयतनामा जो वसीयतकर्ता दुर्गालाल ने शिवशंकर के हक में निष्पादित किया है, के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के वसीयतशुदा होने की पुष्टि होती है। हांलांकि प्रतिपक्ष ने भी उक्त भूमि के वसीयतशुदा होने पर प्रश्न नहीं किया है उन्होने भी वादग्रस्त आराजी को शिवशंकर को वसीयत में प्राप्त होना ही माना है। शिवशकर के हक में की गई वसीयत के आधार पर वादग्रस्त अराजी का नामान्तकरण भी शिवशंकर के हक में ही हुआ है यह तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण संख्या दिनांक संख्या 52 दिनांक 07.01.1973 से बखूबी साबित होता है। दूसरा क्या वसीयती शिवशंकर ने अपने जीते जी वसीयत में प्राप्त सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया है ? उक्त तथ्यों की पुष्टि दो अलग–अलग रजिस्ट्री की प्रतियॉं, जो पत्रावली में उपलब्ध है तथा जिनका वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया हैं, के अवलोकन से तथा एक बख्शीसनामा जो दिनांक 04.08.2020 को शिवशंकर ने निष्पादित किया है, से होती है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व बख्शीसनामे के अनुसार वादग्रस्त आराजी के 1/4, 1/4 कुल 1/2 भूमि सन्तरा देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी बिलौना कलॉं के हक में दिनांक 04.08.2020 को विक्रय पत्र विक्रय की है तथा दिनांक 04.08.2020 को ही अंजनि पुत्र शिवशंकर जाति ब्राहमण निवासी सेडूलाई लालसोट [illegible] का हस्तान्तरण किया है। उक्त तथ्यों से इस बात का विनिश्चिय हो गया है कि शि[illegible] ने [illegible] जीवन काल में ही वादग्रस्त सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर दिया। विद्वान अधिवक्ता के स्व–अर्जित [illegible] के प्रश्न पर विधि की भी मंशा यही है कि वसीयत में आई सम्पत्ति स्व–[illegible] स्व–अर्जित सम्पत्ति पर वसीयती का सम्पूर्ण हक–अधिकार होता है। सम्पत्ति पर जीते जी उसके व्य[illegible]त अधिकार प्रचलित होगे। कानून में स्व–अर्जित सम्पति पर जीते जी सम्पत्ति धारक का ही अधिकार माना है। इस प्रकार स्व–अर्जित सम्पत्ति पर शिवशंकर के जीते जी पोत्र, पोत्री के अधिकार सृजित नहीं होते है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्ष अपने अभिवाक् " की वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है तथा इस कारण कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है" को साबित करने करने वाले दृष्टांत/साक्ष्य पेश करने में असफल रहे है। प्रकरण में न्यायालय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज.)

वादग्रस्त आराजी के वादीगण के लिए पैतृक नहीं होने के वादीगण को कारण वाद–कारण उत्पन्न होने का प्रश्न वादीगण के हक में साबित नहीं हुआ है। तथा पैतृक सम्पत्ति नहीं होने के कारण प्रकरण में वादकारण का अभाव पाया जाता है। परिणामस्वरूप वादपत्र काबिले खारिज है।

निर्णय

अतः उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कॉज ऑफ एक्शन का अभाव पाये जाने पर तथा प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विधि के प्रावधित प्रावधानों के सम्यक् सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र वाद–कारण के अभाव में प्रारंम्भिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.01.2024 को उभयपक्षो की उपस्थिति में सरे ईजलास सुनाया गया।

नरेन्द्र कुमार मीना(आरएएस)
सहायक कलक्टर
लालसोट

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 15:13:42 IST
Reason: SelfAttested